# ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा


पेजः 4
कपड़े धोने से समुद्र में फैल रहा है माइक्रो प्लास्टिक

रविवारीय, 28 फरवरी - 06 मार्च 2021 वर्ष- दो, अंक-30, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये



ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेंट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं हवाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006


### रांची रेल मंडल के चिकित्सकों,कर्मचारियों को दिया गया टीका

रांची रेल मंडल के चिकित्सा विभाग द्वारा कोविड 19 वेक्सिनेशन के अगले चरण में चिकित्सा विभाग के शेष बचे चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को 26 फरवरी को टीका दिया गया। मण्डल के मुख्य चिकित्साधिकारी डाक्टर जी सी हेंब्रोम के मार्गनिर्देशन एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डाक्टर ब्रजेश साहू की उपस्थिति में वैक्सीन लगाया जा रहा है। इस क्रम में आज डॉक्टर नवोदिता लकड़ा , डॉ विवेक, डॉ सिद्धार्थ, डॉ आलोक एवं मेडिकल विभाग के कर्मचारियों का भी टीकाकरण किया गया।आज 75 कर्मियों को टीका लगाया गया। दूसरे रेल कर्मचारियों का भी फेजवाईज टीकाकरण किया जाएगा। यहाँ यह ध्यातव्य है कि इस कोरोना समय में रेलकर्मियों ने कोरोना वारियर के रूप में कार्य किया है।

राष्ट्रों की सुरक्षा और सतत विकास को खतरे में डालने की क्षमता रखते हैं पर्यावरणीय अपराध, इनसे सख्ती से निपट जाना चाहिएः संयुक्त राष्ट्र

# पर्यावरणीय अपराध निपटाने में अदालतों की धीमी रफ्तार

वरीय संवाददाता

सलमान खान पर काले हिरणों के शिकार का केस कितने ही सालों से चलते रहा है यह देशवासियों को भी याद नहीं होगा। चुंकि यह मामला हाइ प्रोफाइल था और हिरण के शिकार के अलावा राजस्थान के बिश्नोई समाज की आस्था और श्रद्धा से भी जुड़ा था। इस कारण से इसमें बहुत सारे मकड़जाल रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि आम पर्यावरणीय मामलों में अदालतें त्वरित गति से मामले को निपटा देती हैं। टाइगर पटौदी पर भी अवैध तरीके से हिरण के शिकार का मामला दर्ज हुआ था और वह भागते फिरे थे, अंततः उस मामले के खिंचने के बाद क्या हुआ? यह आम लोगों को भी याद नहीं।

देश में 2019 और 2020 के बीच वन्यजीव अपराधों की संख्या में गिरावट होने पर भी भारत में रोजाना दो मामले दर्ज होते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) के स्टेट ऑफ इंडिया'ज एनवायरमेंट (एसओई) रिपोर्ट कहती है कि अदालतें नए दर्ज होने वाले मामलों की तुलना में बहुत कम दर से मामलों को निपटा रही हैं, जिससे लंबित मामलों का जखीरा और देरी बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में, पर्यावरण संबंधी 34,671 अपराध दर्ज किए गए थे। 7,000 से ज्यादा मामले पुलिस जांच में और लगभग 50,000 मामले अदालतों में लंबित थे।

2019 में भारत के कुल वन्यजीव अपराधों के 77 प्रतिशत मामले उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। 2018 और 2019 के बीच, कुछ राज्यों में वन्यजीव अपराधों में बढ़ोतरी देखी गईः इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल थे। जाने माने वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिपोर्टर ईशान कुकरेती कहते हैं, ''हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, तब जाकर पर्यावरणीय अपराधों से निपट पाना संभव हो पाएगा।'' ''हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, अदालतों को मौजूदा बैकलॉग एक वर्ष में खत्म करने के लिए रोजाना 137 मामलों को निपटाने की जरूरत होगी। स्पष्ट है कि अदालतें दबाव में हैं। 2019 में, वे रोजाना औसतन जितने मामलों (सभी पर्यावरण और प्रदूषण संबंधित कानूनों के तहत) को निपटा पायी, उनकी संख्या लगभग 86 थी। एसओई का विश्लेषण दिखाता है कि 2019 के सभी मामलों में, ईपीए (पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम) के तहत प्रतिदिन सिर्फ 0.13 मामलों को ही निपटाया जा सका - इस रफ्तार पर, इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के बैकलॉग को निपटाने में अदालतों को 20 साल से ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसी तरह, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (2019 में प्रतिदिन महज 0.66 मामलों का निपटारा हुआ) के तहत लंबित मामलों को निपटाने में 13 साल लग जाएंगे। वर्तमान में अदालतें जिन मामलों को निपटा पा रही हैं, उनमें ज्यादातर मामले सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के तहत आते हैं। हमें दूसरे कानूनों के तहत लंबित मामलों को भी निपटाने की जरूरत है।

### वन्यजीवों के व्यापार से उनकी आबादी में औसतन 62 फीसदी की गिरावट

अंतराष्ट्रीय स्तर पर हर साल 10 करोड़ पौधों और जानवरों की तस्करी की जाती है वन्यजीवों का यह व्यापार हर साल तकरीबन 145,418 करोड़ रुपए का है। वन्यजीवों के वैध और अवैध व्यापार से उनकी आबादी में औसतन 62 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं व्यापार के चलते पहले से ही विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी प्रजातियों पर खतरा कहीं और बढ़ गया है। व्यापार के चलते उनकी आबादी में औसतन 80 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। कुछ मामलों में तो प्रजातियां स्थानीय स्तर पर गायब ही हो चुकी हैं। इसके बावजूद इसपर बहुत सीमित अध्ययन किए गए हैं।

दुनिया भर में वन्यजीवों और जैवविविधता की तस्करी एक बड़ा व्यापार है। अनुमान है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर साल 10 करोड़ पौधों और जानवरों की तस्करी की जाती है। आमतौर पर इनकी तस्करी पारंपरिक दवाओं के निर्माण, लक्जरी खाद्य पदार्थों और जीवों को पालतु बनाने के लिए की जाती है। यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो वन्यजीवन का यह व्यापार तकरीबन 145,418 करोड़ रुपए (2,000 करोड़ डॉलर) प्रतिवर्ष तक का है।

## बीएयू कुलपति ने एग्रीकल्चर ग्रुप टुडे ग्रुप के चर्चा में भाग लिया

संवाददाता

रांची : बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने शनिवार को एग्रीकल्चर ग्रुप टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित पैनल चर्चा में वेबिनार के माध्यम से भाग लिया. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस पैनल चर्चा में आईसीएआर, नई दिल्ली के उपमहानिदेशक (कृषि शिक्षा) के साथ-साथ देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के 50 कुलपति भी शामिल हुए. इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य देश के स्कुली छात्रों में कृषि शिक्षा के प्रति आकर्षण तथा जागरूकता को बढ़ावा देना था. कार्यक्रम में सीबीएसई पाठ्यक्रम के देशभर के 11 वीं एवं 12 वीं कक्षाओं के छात्राओं ने भी भाग लिया।

चर्चा में भाग लेते हुए कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी युवाओं में कृषि शिक्षा के प्रति आकर्षण कम होता जा रहा है. जिसे समुचित प्रयासों के द्वारा आकर्षित बनाया जा सकता है. इस बात को प्रचारित करने की आवश्यकता है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरह ही कृषि के पाठ्यक्रम जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटनरी, डेयरी, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट आदि प्रोफेशनल कोर्स है. इन क्षेत्रों में रोजगार के अनेकों अवसर मौजूद है. विद्यार्थी सरकारी विभागों में पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किये जाते है. इसके आलावा कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम एवं गैर-सरकारी संगठनों में भी रोजगार के व्यापक अवसर है. हाल के वर्षो में विद्यार्थी उद्यमिता के क्षेत्र में एग्री स्टार्टअप को स्थापित करने की ओर अग्रसर हैं।

कुलपति ने कहा कि झारखण्ड राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों के साथ-साथ जिले में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से भी कृषि शिक्षा में मौजूद संभावनाओं एवं अवसर के बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा. आगामी पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक किसान मेला एवं एग्रोटेक किसान मेला -2021 में कृषि शिक्षा के सबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जायेगा. उन्होंने प्रदेश में कृषि शिक्षा के विस्तार में कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का विश्वविद्यालय को अभूतपूर्व सहयोग का जिक्र करते हुए आभार व्यक्त किया।

# उफ्फ ,गधों को भी मार कर खा रहे हैं आंध्र प्रदेशवासी ?

मनोज कुमार शर्मा

### यौनशक्ति बढ़ने के सफेद झूठ से मारे जा रहे गधे

*यह भ्रम की गधों के मांस से यौन शक्ति बढती है और आदमी जल्दी बूढा नहीं होता गधों के लिये शामत बन कर आया है। इस सोंच का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जिस तरह चीन में शेर एवं बाघ के लिंग का सूप पीने से यौनशक्ति बढने का भ्रम फैला कर एक कटोरी सूप लाखो डॉलर में बेची जाती है कुछ वैसा ही भ्रम फैला कर नीरीह गधों को मारा और खाया जा रहा है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक जी नेहरू बाबू ने कहा कि गधों का कत्ल अवैध है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गलतफहमी के कारण लोग गधे का मांस खाते हैं। गुंटूर पुलिस अधीक्षक आरएन अम्मी रेड्डी ने भी इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।*

अब तक तो हम चीन में गधों के खत्म होने की खबरें सुनते आये हैं। यह घिनौनी खबर कई बार चर्चा में रही कि चीनियों ने सारे गधों को मार कर खा लिये अब वो पाकिस्तान से गधे आयात कर रहे हैं वह भी सामान ढुलाई के लिये नहीं बल्कि गधों के मांस से व्यजंण बनाने के लिये। अभी हाल की खबर है कि पाकिस्तान 20 हजार गधे मांस के लिये चीन को निर्यात कर रहा है। चीन में गधे के खाल तक से डिश बनाये जाते हैं।

लेकिन अब विचलित करने वाली खबर भारत के आंध्रप्रदेश से भी है। जहां यौनशक्ति बढ़ने के भ्रम में लोग गधों का मांस खा रहे हैं।अब तक गधों का मांस वर्जित माने जाने वाले हमारे देश में धड़ल्ले से गधे बूचड़खाने में काटे जा रहे हैं। हालत यह हो गयी है कि आंध्रप्रदेश में गधे तकरीबन खत्म हो चुके हैं और अब दूसरे राज्यों से मांस के लिये गधों को खरीद कर लाया जा रहा है। प्रदेश में उन्हें मांस के कारण मारा जा रहा है। खाद्य सुरक्षा और मानक नियम 2011 के अनुसार खाद्य जानवरों की श्रेणी में गधा नहीं आता है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में यह देखा जा रहा है कि वहां पर गंधो की संख्या कम होती जा रही है। पश्चिमी आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख जिलों में इस पूरी घटना का अनुमान लगाया गया है। जिसमें गोदावरी, कृष्णा,प्रकाशम और गुंटूर जिले शामिल है। कुछ रिपोर्ट की मानें तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,कर्नाटक और महाराष्ट्र मे एकदम गधों की मांग बढ़ गई है। मांस के लिए गधों की अंधाधुंध हत्या पर रोक लगाना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

वास्तव में भारत के भीतर गधों का उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है, लेकिन आंध्र प्रदेश में गधों की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। आंध्रप्रदेश में गधों की हत्या बड़े रूप पर की जा रही है जिससे अचानक गधों की संख्या में कमी आ गई है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए व्यापारी अवैध तरीकों से ट्रकों में जानवरों को ले जा रहे हैं और प्रत्येक को 10 से 15,000 रुपये में बेच रहे हैं।

जो भी हो पर अब तक मूर्ख और सामान ढोने वाले जानवर के तौर पर जाने जाना वाले जीव की अब मांस के लिये नृसंश हत्या हर हाल में रोकी जानी चाहिये। यह बहुत ही ह्रदयविदारक है।

### अति गरीब आबादी वाले राज्यों में मनरेगा का दायरा बढ़ाने की जरूरत

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना गरीब आबादी वाले राज्यों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका फायदा उन राज्यों ने अधिक उठाया, जहां बेहतर सुशासन था। इन राज्यों ने मनरेगा का पैसा अधिक से अधिक खर्च किया, लेकिन गरीब आबादी वाले राज्य को मनरेगा का फायदा नहीं उठा पाए। कोविड-19 लॉकडाउन (अप्रैल से जुलाई 2020) के दौरान मनरेगा में काम पाने वाले लोगों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 50 फीसदी अधिक थी, लेकिन अति गरीब आबादी वाले छह राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश) में यह संख्या और भी अधिक लगभग 81 फीसदी थी।पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव फुगल मोहापात्रा और पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन द्वारा लिखे गए इस अध्याय में कहा गया है कि मनरेगा से मिलने वाले रोजगार के मामले में अति गरीब राज्यों (एचपीएस) की तुलना यदि अन्य राज्यों से की जाए तो इन गरीब राज्यों में 2014-15 के बाद से रोजगार सृजन बढ़ा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के हिसाब से ये आंकड़ें अभी भी कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की खासी कमी है। लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार खासकर गैर कृषि कार्यों की भारी कमी देखी गई। ऐसे में मजदूरी करने वाले परिवारों को केवल मनरेगा के अलावा कोई काम नहीं मिला।

## अब सीएनजी से चलेंगी नावें

संवाददाता

वराणसी में डीजल अथवा पेट्रोल से चलने वाली नावों को सीएनजी से चलाने का काम अपने चरण में है । इस देशहित के काम के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड ने सीएनजी स्टेशनों के डिजाइन और अभियांत्रिकी एवं जेटी पर डिसपेंसिंग सुविधा का काम मेकॉन को सौंपा है। इस कार्य के हो जाने के उपरांत, वाराणसी नगर निगम के अंतर्गत आने वाली डीजल / पेट्रोल ईंधन से चलने वाली नावें सीएनजी ईंधन से चलने लगेंगी एवं इसका सीधा अनुकूल असर पर्यावरण पर पड़ेगा ।इसके तहत 5 नावों के साथ परिक्षण भी शुरू कर दिया गया है ।

मेकॉन परिवार इस प्रतिष्ठित परियोजना के साथ जुड़ कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है । नौकाओं के रूपांतरण को मेकॉन ने अपनी सीएसआर गतिविधि के हिस्से के रूप में लिया है । यह प्रयास, भारत में अपनी तरह का पहला है। शनिवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस परियोजना की समीक्षा की ।

# बिहार में हो रहा है कुओं की परंपरा को बचाने का प्रयास

एजेंसियां

***विशेषज्ञ मानते हैं कि बिहार के हरेक गांव में कई कुएं हैं और अगर इनका इस्तेमाल पेय-जल के लिए होने लगे तो आर्सेनिक और फ्लोराईड जैसे खनिज-पदार्थ से होने वाली कई बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है।***

बिहार सरकार राज्य में मौजूद करीब सत्तर हजार सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार कराने जा रही है। इक्कसवीं सदी में जब सरकारें पाइप के जरिए पानी घरों में पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, कुओं के जीर्णोद्धार की योजना थोड़ी अजीब लगती है। अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इन कुओं का जीर्णोद्धार पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है या इसका इस्तेमाल खेती-किसानी में होना है।

बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने हाल ही में तय किया है कि वह राज्य के 69768 सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करायेगी। इनमें से 67,554 कुओं का जीर्णोद्धार जून, 2021 तक ही कर लिया जायेगा।



राज्य सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान के जरिये राज्य भर के कुओं का सर्वेक्षण कराया था। इस सर्वेक्षण में बिहार में कुल 3,14,982 कुएं मिले थे। राज्य सरकार इनमें से अब उन कुओं का जीर्णोद्धार कराने की सोच रही है, जो जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हालांकि इन्हें पेयजल के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा, या इनका कुछ और ही इस्तेमाल होगा यह स्पष्ट नहीं है।

बिहार जैसी सरकार के लिए यह फैसला अनूठा है। क्योंकि एक तरफ सरकार राज्य में सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार की बात भी कर रही है, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार पाइप के जरिये हर घर में पीने का पानी पहुंचाने की योजना भी संचालित कर रही है। इसके तहत हर गांव में बोरिंग के जरिये भूगर्भ जल निकाल कर उसे शुद्ध किया जा रहा है और पाइप लाइन के जरिये घर-घर पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में मन में यह सवाल उठता है कि कुओं के जीर्णोद्धार की इस योजना से आमलोगों को कुछ लाभ भी होगा या इनका सिर्फ डेकोरेटिव महत्व रह जायेगा, यह देखने वाली बात होगी।

### बिहार के पहले जैविक ग्राम का कुओं के प्रति रुझान

बिहार में जब भी कुओं के वापसी की बात होती है तो सहज ही जमुई जिले का केड़िया गांव याद आ जाता है, जहां 2019 में गांव के लोगों ने सरकार से मांग कर 16 नये कुएं खुदवाये थे। केड़िया गांव की पहचान बिहार के पहले जैविक ग्राम के रूप में है। यहां सौ से अधिक परिवारों ने पिछले पांच-छह साल से पूरी तरह जैविक खेती को अपना लिया है। उस प्रकरण को याद करते हुए गांव के किसान आनंदी यादव कहते हैं, जैविक खेती की वजह से जब गांव की चर्चा होने लगी तो 2016 में कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार यहां आये थे। उस वक्त उन्होंने हमारी खेती से खुश होकर गांव को दो स्टेट बोरिंग देने की घोषणा की थी। मगर सुधीर कुमार यह सुनकर चकित रह गये कि गांव के किसान स्टेट बोरिंग के लिए मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें इसके बदले कुएं दिये जायें। किसानों का कहना था कि स्टेट बोरिंग से हमारे गांव का जलस्तर नीचे चला जायेगा। हालांकि विभाग के लोग गांव वालों की इस मांग से बहुत सहमत नहीं हुए। गांव के लोगों को स्टेट बोरिंग के बदले कुओं के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। राज्य सरकार को अपनी 80 डिसमिल (करीब 24845 वर्ग फीट) जमीन दान भी की ताकि वहां सार्वजनिक कुएं बनाये जा सकें। तब जाकर केड़िया गांव में 16 कुओं की खुदाई हुई और आज उन कुओं में 15 से 25 फीट की गहराई पर आराम से पानी मिलता है। जबकि झारखंड से सटे इस पहाड़ी जिले में इतनी कम गहराई पर पानी मिलना लगभग असंभव माना जाता है।

### बिहार में कुओं की समृद्ध परंपरा

हालांकि बिहार सरकार फिलहाल जिन कुओं का जीर्णोद्धार करने की योजना बना रही है, वे ज्यादातर घरेलू इस्तेमाल के लिए उपयोग में लाये जाने वाले कुएं हैं।

पांच दशक पहले तक जिसके पानी का पीने और स्नान व कपड़े धोने के लिए खूब इस्तेमाल होता था। हैंडपंप के आने और घर-घर पहुंच जाने से पहले तक राज्य में कुएं ही लोगों के पीने, खाना पकाने और नहाने-धोने के लिए सबसे बड़ा सहारा थे। सरकार द्वारा कराये गये हालिया सर्वे से भी इस बात का पता चलता है कि 45 हजार के करीब गांव वाले इस राज्य में अमूमन हर गांव में सात कुएं बचे हुए हैं।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा



# खतरनाक तरीके से प्रदूषित होता देश

भारत में औद्योगिक प्रदूषण का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी और एसपीसीबी) द्वारा प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में पहचाने गए 88 इंडस्ट्रियल क्लस्टर (औद्योगिक क्षेत्रों) के मूल्यांकन से ये तथ्य सामने आए है कि देश में हवा, जल और भूमि प्रदूषण की स्थिति और भयावह हुई है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की है। स्टेट ऑफ इंडिया'ज एनवायरमेंट के मुताबिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2009 में कंप्रीहेंसिव एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स (सीईपीआई) बनाया था, जो किसी स्थान की पर्यावरण गुणवत्ता और गंभीर रूप से प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान करता है। सीईपीआई आंकड़ों के अनुसार, 2009 और 2018 के बीच 88 औद्योगिक क्षेत्रों (इंडस्ट्रियल क्लस्टर) में से 33 में वायु प्रदूषण की हालत चिंताजनक थी।दिल्ली के नजफगढ़ ड्रेन बेसिन में, सीईपीआई वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) स्कोर 2009 के 52 से बढ़कर 2018 में 85 हो गया। मथुरा (उत्तर प्रदेश) का स्कोर 2009 में 48 था, जो 2018 में 86 तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर-खुर्जा क्षेत्र में ये लेवल दोगुना हो गया, यानी 2008 के 42 से बढ़कर 2018 में 79 हो गया। गजरौला (उत्तर प्रदेश) और सिलतारा (छत्तीसगढ़) के लिए ये स्कोर 2018 में 70 से अधिक का था।इसी अवधि में 88 क्लस्टरों में से 45 में पानी की गुणवत्ता खराब हो गई। 2018 में, सांगानेर (राजस्थान) और गुरुग्राम (हरियाणा) का सीईपीआई जल गुणवत्ता (वाटर क्वालिटी) स्कोर 70 से अधिक था। तारापुर (महाराष्ट्र), कानपुर (उत्तर प्रदेश) और वाराणसी-मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) का भी स्कोर 80 या 80 से अधिक था। झारखंड से प्रदूषण के आंकड़े कम ही आते हैं, पर जमीनी हकीकत तो यही है कि यहां की नदियां और शहर तेजी से प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं ?

*2009 से 2018 के बीच भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में हवा, पानी और जमीन की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। लॉकडाउन में कम प्रदूषण के बावजूद वर्ष 2020 इतिहास के कुछ सबसे गर्म सालों में से एक रहा है। इन सबके बाद भी चिंता का विषय यह है कि हम इन खतरनाक चेतावनियों को नजरअंदाज कर प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं ?पहाड़ो, नदियों, समुद्रों , वनों को बर्बाद करने में हमें तनिक भी अफसोस नहीं । आखिर इन सबका नतीजा भी मनुष्यों को ही भुगतना भी है।*

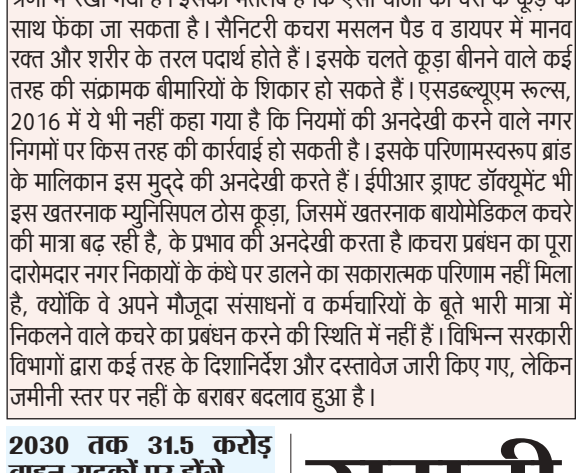

## सैनिटरी पैड से बढ़ता प्रदूषण

सॉलिट वेस्ट मैनेजमेंट, 2016 (एसडब्ल्यूएम) के मुताबिक, सैनिटरी नैपकिन और डायपर बनाने व उसकी मार्केटिंग करने वाली कंपनियों को म्युनिसिपल अथॉरिटी के साथ मिलकर एक व्यवस्था विकसित कर उनके ब्रांड से निकलने वाले कूड़े को वापस लेना है। इन कंपनियों को हर नैपकिन के निस्तारण के लिए पाउच या रैपर देना है और उपभोक्ताओं को जागरूक भी करना है। इस निर्देश के पालन के लिए ब्रांड मालिकों ने अब तक कुछ भी नहीं किया है। पारंपरिक सैनिटरी पैड (इस्तेमाल करने के बाद फेंक देने वाले) में 90 प्रतिशत प्लास्टिक होता है।

सैनिटरी पैड का ऊपरी हिस्सा जिसे कपड़ा कहा जाता है, प्लास्टिक से बुना हुआ शीट होता है। अगर हम सैनिटरी पैड के अन्य तत्वों को देखें, तो उसकी पैकेजिंग, प्लास्टिक विंग्स, गोंद, तरल पदार्थ को अवशोषित करने वाला जेल (प्लास्टिक) आदि को जोड़ दें, तो हर पैड में चार प्लास्टिक बैग (2 ग्राम वजन का प्राकृतिक तरीके से नष्ट नहीं होने वाला प्लास्टिक) के बराबर प्लास्टिक होता है। अनुमान है कि सैनिटरी नैपकिन और डायपर को नष्ट या खराब होने में 500-800 साल लगता है। एक महिला प्रजनन की उम्र तक औसतन 10,000 सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है।

अनुमानतः हर महीने भारत में 1 करोड़ सैनिटरी पैड (डिस्पोजेबल) फेंका जाता है। एसडब्ल्यूएम रूल्स, 2016 में एक खामी ये भी है कि सैनिटरी कूड़े को बायोमेडिकल कूड़े की जगह घरेलू खतरनाक कूड़े की श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि ऐसी चीजों को घरों के कूड़े के साथ फेंका जा सकता है। सैनिटरी कचरा मसलन पैड व डायपर में मानव रक्त और शरीर के तरल पदार्थ होते हैं। इसके चलते कूड़ा बीनने वाले कई तरह की संक्रामक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। एसडब्ल्यूएम रूल्स, 2016 में ये भी नहीं कहा गया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले नगर निगमों पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप ब्रांड के मालिकान इस मुद्दे की अनदेखी करते हैं। ईपीआर ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भी इस खतरनाक म्युनिसिपल ठोस कूड़ा, जिसमें खतरनाक बायोमेडिकल कचरे की मात्रा बढ़ रही है, के प्रभाव की अनदेखी करता है।कचरा प्रबंधन का पूरा दारोमदार नगर निकायों के कंधे पर डालने का सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है, क्योंकि वे अपने मौजूदा संसाधनों व कर्मचारियों के बूते भारी मात्रा में निकलने वाले कचरे का प्रबंधन करने की स्थिति में नहीं हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा कई तरह के दिशानिर्देश और दस्तावेज जारी किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं के बराबर बदलाव हुआ है।

# शराब की बोतलों से बदरंग हुये गोवा के मनोरम बीच

एजेंसियां

***शराब की बोतलों ने गोवा के समुद्री किनारों को इतना गंदा कर दिया है कि कुछ लोग जो कहीं और जाने का खर्च वहन कर सकते हैं, वो विदेशों का रुख करने लगे हैं।***

सालभर पर्यटकों से गुलजार रहने वाला गोवा, शराब की वजह से उपजी समस्या से दो-चार हो रहा है। यहां रोजाना समुद्र किनारे, सड़कों पर और दूसरे पर्यटन स्थलों पर शराब की बोतलों का अंबार लग जाता है। कई पर्यटक इन बोतलों को फेंककर तोड़ देते हैं जिससे यह कचरा खतरनाक बन जाता है।

गोवा में घरेलू पर्यटकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वर्ष 2008 में 20 लाख पर्यटक सालाना गोवा पहुंचते थे। वर्ष 2018 में गोवा के मनोरम दृश्य का लुत्फ लेने करीब 70 लाख सैलानी पहुंचे। शराब की बोतलों ने गोवा के समुद्री किनारों को इतना गंदा कर दिया है कि कुछ लोग जो कहीं और जाने का खर्च वहन कर सकते हैं, वो विदेशों का रुख करने लगे हैं। अपने खूबसूरत समुद्री किनारों यानी बीच की वजह से गोवा लंबे समय से एक बड़े पर्यटक वर्ग की पहली पसंद रहा है। पूरे साल यहां भारी मात्रा में पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है। गोवा की अर्थव्यवस्था में भी पर्यटन-क्षेत्र का काफी योगदान है। लेकिन पर्यटकों की इस बढ़ती संख्या से न केवल स्थानीय आबो-हवा प्रभावित हो रही है बल्कि कचरे का उत्सर्जन भी बढ़ रहा है। इस कचरे में सबसे अधिक कांच की बनी शराब की बोतलें होती हैं।

वर्ष 2017 में केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान( सीएमएफआरआई) ने एक अध्ययन किया था जिसमें देश के 254 समुद्री तट (बीचों) को शामिल किया गया था। फिर पता चला कि गोवा के बीच पर कचरा सबसे अधिक होता है। इस अध्ययन में पाया गया कि गोवा के बीच पर मौजूद कुल कचरे में कांच के बोतलों का योगदान 33 प्रतिशत के करीब था। बीच पर नायलॉन से बने मछली पकड़ने वाले जालों के टुकड़े भी खूब पाए गए। करीब 36 फीसदी। गोवा में शराब की टूटी हुई बोतलें खुलें में फैली हुई देखी जा सकती हैं। हाइवे हो, पर्यटन स्थल हो या समुद्री तट। टूटे-बिखरे कांच पर्यटकों के लिए भी खतरनाक हैं। तैरने या बीच पर सैर के दौरान सैलानियों के चोटिल होने का खतरा बना रहता है।

पहले शराब कंपनियां ग्राहकों को खाली बोतल के पैसे देकर उसे वापस ले लेती थीं। लेकिन अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब खाली बोतलों के निपटारे की जिम्मेदारी गोवा वेस्ट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन (जीडब्लूएमसी) की है।''सप्ताह के अंत में 25 हजार से 30 हजार सैलानी बागा-सिंक्वेरियम बीच पर पाए जाते हैं। पर्यटकों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है और सैर के दौरान इनका शराब के प्रति रुझान अधिक होता है। इस बीच पर 150 ऐसे अड्डे हैं जहां शराब बेचने की इजाजत है। इस वजह से यहां पर शराब के हजारों खाली बोतलें इधर-उधर बिखरी मिलती हैं,'' कहते हैं नेविल प्रोनेका जो एक रेस्टोरेंट संचालक हैं। ''इन दुकानों पर कायदे से एक नोटिस चस्पा होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि खुले में शराब का सेवन वर्जित है। उधर बड़ी दुकानों के बाहर ही पर्यटक शराब पीते हैं। इन्हीं दुकानों से ग्राहकों को डिस्पोजेबल गिलास भी दिया जाता है। इन दुकानों को जो लाइसेंस मिला है उसकी शर्त के मुताबिक यह गैरकानूनी है,'' नेविल ने बताया।''कम खर्च में घूमने वाले कई पर्यटक तो बीच पर ही बोतल ले जाते हैं। नशा चढ़ने के बाद वह बोतल को वहीं फेंक देते हैं। सस्ते में शराब पीने की कीमत समुद्री-तटों के हिस्से आता है। टूटे हुए बोतलों पर अगर नंगे पांव कोई चल ले तो घायल होने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में पर्यटकों के लिए समुद्र के तट खतरनाक होते जा रहे हैं,'' प्रोनेका ने बताया। इन खतरों को देखते हुए अमीर पर्यटक गोवा को छोड़कर श्रीलंका का रुख कर रहे हैं। गोवा में पर्यटन के उद्योग से जुड़े लोग सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले पर्यटकों पर दो हजार से 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के नियम को सख्ती से लागू करवाना चाहते हैं।

गोवा में हर तरह के नियम तो हैं लेकिन जमीन पर इनका कोई असर नहीं दिखता। इंडियन रिजर्व बटालियन को इस नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर यह बटालियन सच में इसको सही से लागू कराने लगे तो कानून तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कई बसों की जरूरत पड़ेगी। अगर वे किसी समूह को नियम तोड़ते हुए पकड़ते हैं तो एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है, लेकिन जुर्माना वसूलने की कोशिश करने वाले अधिकारियों का तबादला तक हो जाता है। यहां शराब लॉबी काफी पहुंच वाली है,'' अपना नाम न जाहिर करने के शर्त पर एक रेस्टोरेंट मालिक ने बताया। बीच पर पर्यटकों की मनमानी का एक उदाहरण वर्ष 2020 का है जब नए साल के तीन दिन पहले से पार्टी शुरू हुई और बीच पर शराब की बोतलों का अंबार लग गया। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हुईं जिसके बाद मीडिया में भी इसकी काफी चर्चा हुई। हालांकि, इस घटना के बाद भी किसी पर जुर्माना लगा हो ऐसी जानकारी सामने नहीं आई।

### देसी पर्यटकों की बाढ़ से अस्थिर हुए गोवा के बीच

वर्ष 2005 से पहले गोवा के तटों पर स्थानीय पर्यटकों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय पर्यटक की खासी अधिक संख्या हुआ करती थी। साल के कुछ ही महीने यहां पर्यटक देखे जाते थे। वे वहां से जाते वक्त इतना ही कचरा छोड़कर जाते थे जिसका प्रबंधन आसानी से हो जाता था। गोवा में कुछ महीने ऐसे भी होते थे जब समुद्र के तट खाली रहते थे जिससे उनको अपना प्राकृतिक रूप में वापस पाने का समय मिल जाता था। पर अब गोवा की स्थिति काफी बदल चुकी है। पिछले वर्षों में यहां आने वाले स्थानीय पर्यटकों की वजह से पर्यटकों की संख्या गोवा की आबादी से पांच गुना हो गई है। वर्ष 2018 में गोवा में 80 लाख पर्यटक आए जिसमें से 9,30,000 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। गोवा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पर्यटकों और स्थानीय लोगों की वजह से गोवा में 527 टन कचरा रोज पैदा होता है।

गोवा में 2725 बियर बेचने की दुकाने हैं जिसके माध्यम से रोजाना लाखों बोतल बियर बिकती है और अंततः कचरे के रूप में सामने आती है। लगभग 99 प्रतिशत कांच का कचरा बियर बोतल ही होता है, जो कि खुले में फैला दिखता है। बीच पर डस्टबिन होने के बावजूद लोग इसे खुले में फेकते हैं, कहना है क्लिंटन वाज का जो वीरिसाइकल नाम की कंपनी चलाते हैं। चलती गाड़ी से कांच की बोतल फेकते हुए पर्यटकों को देखना गोवा में सामान्य घटना है। यहां तक की दूर-दराज के टापू भी कांच के कचरे से अछूते नहीं है। बीच को साफ करने की जिम्मेदारी निभाने वाली कंपनी वीरीसाइकिल ने वर्ष 2018 में समुद्री तटों से 3.17 टन कचरा साफ किया।''यहां ऐसे स्थान पर भी कचरा मौजूद है जहां पहुंचने के लिए हमें नाव का सहारा लेना पड़ता है। नाव पर शराब ले जाने पर प्रतिबंध होने के बावजूद इस नियम का पालन नहीं होता है। तटों को साफ करने के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सेबिलिटी के पैसों का भी इस्तेमाल होना चाहिए,'' वाज कहते हैं।

शराब के कारोबार से जुड़े 46 बियर और इंडियन मेड फॉरेन लिकर (आईएमएफएल) बनाने वाली संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रही हैं।''पर्यटक सिर्फ शराब की बोतल ही नहीं फेक रहे बल्कि दूसरे तरह का कचरा भी फैला रहे हैं,'' यह कहना है ऑल गोवा लिकर ट्रेडर्स असोसिएशन के प्रेसिडेंट दत्ताप्रसाद नायक का। शराब की बोतलों की सफाई का जिम्मा सरकार ने अपने ऊपर लिया है। इसके लिए खर्चे का बड़ा बोझ जनता के हिस्से आता है। वर्ष 2014 में सफाई का खर्चा दो करोड़ से बढ़कर अब 12 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पहुंच चुका है। गोवा में समुद्र का तट 106 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कचरा साफ करने वाले ठेकेदारों का कहना है कि रोजाना 300 लोग सफाई के काम में लगते हैं, जिसमें से 50 को सिर्फ बागा-सिंक्वेरियम बीच पर ही लगाना पड़ता है। इस कचरे को रिसाइकल यानी नए तरीके इसे इस्तेमाल करने की कोशिश भी होती है। गोवा स्थित हिंदुस्तान वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में रोजाना 250 किलो कांच का कचरा जमा होता है, जिसमें से 85 प्रतिशत शराब की बोतले होती हैं।

# प्रदूषण घटाने के लिये बिहार में लगेगा स्मॉग टावर

***बिहार में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में पटना को विश्व का छठा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था।***

वायु में प्रदूषक तत्वों की मात्रा कम करने के लिए बिहार में स्मॉग टावर लगाया जाना है। जानकारों का मानना है कि बिहार में प्रदूषण की समस्या का हल स्मॉग टावर नहीं है। बिहार में वर्ष 2019 में हवा साफ करने के लिए क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाया गया था। इसका मकसद पटना में प्रदूषण का स्तर कम करना था। हालांकि, इस योजना में भी स्मॉग टावर लगाने की बात नहीं कही गई है। इससे पहले दिल्ली में भी स्मॉग टावर स्थापित किया गया था, लेकिन स्थानीय लोग इसके असर को लेकर उत्साहित नहीं हैं।

बिहार की हवा दिन-ब-दिन प्रदूषित होती जा रही है। यहां की राजधानी पटना के हालात इतने खराब हैं कि वर्ष 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट ने पटना को विश्व का छठा सबसे प्रदूषित शहर माना। प्रदूषण को कम करने की कोशिशों में सबसे ताजा कोशिश बिहार में स्मॉग टावर लगाने की हो रही है। स्मॉग टावर यानी हवा को साफ करने वाला एक विशाल प्यूरिफायर। यह टावर वातावरण से प्रदूषित हवा को फिल्टर के माध्यम से छानकर वातावरण में साफ हवा छोड़ेगा बिहार में स्मॉग टावर की स्थापना की बात सबसे पहले राज्य के पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने कही। उन्होंने मंत्री पद संभालते ही विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक के बाद घोषणा किया कि बिहार की राजधानी पटना में साईकिल ट्रैक और स्मॉग टावर की स्थापना की जाएगी।

प्रदूषण को लेकर सरकार के इस सक्रियता के पीछे बिहार में बढ़ते प्रदूषण को माना जाना चाहिए। राज्य सरकार के सामने प्रदूषण की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में पटना को छठा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किए जाने के बाद शहर के लोगों की चिंता बढ़ी। इस वर्ष पटना का सालाना औसत पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (पीए 2.5) 149 माइक्रोग्राम/घनमीटर दर्ज किया गया। वर्ष 2017 में जारी ग्रीनपीस की एक रिपोर्ट ने पटना को देश के शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों में से एक माना। इस रिपोर्ट में सामने आया कि पटना में पीएम10 की मात्रा 258 से लेकर 200 माइक्रॉन प्रति घनमीटर के बीच पाई गई। इसी तरह अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पटना के हवा में पीएम 2.5 की मात्रा वर्ष 2017 में 118.5, 2018 में 119.7 और 2019 में मात्रा 82.1 माइक्रॉन प्रति घनमीटर रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन और नेशनल एंबिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड (एनएएक्यूएस) के द्वारा स्थापित मानकों के मुताबिक पटना का प्रदूषण स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में है।

बिहार में राजधानी पटना के अलावा दूसरे जिलों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है।

बावजूद इसके किसी भी जिले को 2018 में लागू हुए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) का हिस्सा नहीं बनाया गया है। बिहार में खुले में कचरा जलाने का चलन काफी सामान्य है। स्मॉग टावर लगाकर प्रदूषण कम करना ऐसा ही हुआ जैसा आप बाथरूम में नल खुला छोड़ दें और उससे निकले पानी को बार-बार हटाते रहें। जबकि पानी को रोकना है तो सीधे नल को बंद किया जाना चाहिए,'' यह कहना है अर्थ डे नेटवर्क के क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के डायरेक्टर अजय मित्तल का। वह इस उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं कि वायु प्रदूषण को रोकना है तो उसके स्रोत पर ध्यान देना होगा। ''स्मॉग टावर लगाना एक बेहद खराब उपाय है। बजाए इसके सरकार को दूसरे उपायों पर ध्यान देना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो,'' वह कहते हैं। मित्तल सुझाते हैं कि राज्य में प्रदूषण की निगरानी के लिए और अधिक केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। इससे राज्य में प्रदूषण की समस्या का ठीक अंदाजा लग सकेगा।

वर्ष 2019 में बिहार की कई सामाजिक संस्थाओं ने सरकार के साथ मिलकर पटना की हवा साफ करने की एक योजना ''क्लीन एयर एक्शन प्लान'' बनाई। इस योजना के मुताबिक वर्ष 2030 तक पटना में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत घरेलु ईंधन (19%), फैक्ट्री (12%), खुले में कचरा जलाना (11%), धूल (11%), डीजल जेनरेटर (4%) और अन्य (23%) रहने का अनुमान है। इस योजना में सुझाव दिया गया है कि ऑटो को सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों से बदलकर, ईंट बनाने के लिए नई तकनीक लाकर, कचरे को जलाने के बजाए इससे खाद बनाने जैसे उपायों से प्रदूषण कम किया जा सकता है। हालांकि, इस योजना में कहीं भी स्मॉग टावर लगाने की बात नहीं कही गई है।

### दिल्ली का स्मॉग टावर कितना सफल रहा ?

दिल्ली में पिछले वर्ष स्मॉग टावर की स्थापना हुई है। करीब 24 फीट लंबा यह टावर लाजपत नगर में लगा हुआ है। आसपास रहने वाले लोग इस टावर की सफलता पर संदेह व्यक्त करते हैं। ''हमारे पास इस इलाके में स्मॉग टावर लगने के बाद प्रदूषण का आंकड़ा नहीं है। अब तक प्रशासन ने ऐसा कोई आंकड़ा पेश नहीं किया है जिससे पता चले कि प्रदूषण कम हुआ है। हमने अपने स्तर पर पता किया तो पता चला कि यहां की हवा अब भी पहले जैसी ही है,'' कहते हैं लाजपत नगर निवासी मनु सोधी। एक रिपोर्ट के मुताबिक लाजपत नगर स्थित लगा स्मॉग टावर महज 750 मीटर के घेरे में स्थित हवा को ही साफ रख सकता है। नवंबर 2019 में केंद्रीय पर्यावरण सचिव ने खुद ही स्मॉग टावर की सफलता पर संदेह जाहिर किया। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को स्मॉग टावर को लेकर एक विशेषज्ञों का समूह बनाकर इसकी हवा साफ करने की क्षमता पता लगाने के निर्देश दिए।

***मोंगाबे से साभार***

### घोंघों और सीपों में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक

समुद्री जीव का मांस (सी-फूड) के मामले में सीप, घोंघों और कौड़ियों में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। शोध के अनुसार घोंघों (मोलस्क) में सबसे ज्यादा मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। जिसमें प्रतिग्राम माइक्रोप्लास्टिक्स के 10.5 टुकड़े मिले है। वहीं क्रसटेशियन जीव (जैसे केकड़ों और झींगा) में प्रति ग्राम माइक्रोप्लास्टिक्स के 0.1 से 8.6 कण मिले हैं जबकि मछलियों में प्रतिग्राम 2.9 कण तक मिले हैं। यह जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और हल यूनिवर्सिटी द्वारा किए शोध में सामने आई है।

यदि सी-फूड की खपत की बात करें तो हालिया आंकड़ों से पता चला है कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और अमेरिका घोंघो और सीप (मोलस्क) के सबसे बड़े उपभोक्ताओं हैं, इनके बाद यूरोप और यूके का नंबर आता है। शोधकर्ताओं की मानें तो एशिया के तटों से इकट्ठा किए सीप, घोंघों और कौड़ियों में सबसे ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। जो दिखाता है कि इस क्षेत्र में प्लास्टिक प्रदूषण अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा है।

जर्नल एनवायर्नमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव में छपा यह शोध 2014 से 2020 के बीच छपे 50 से अधिक अध्ययनों के विश्लेषण पर आधारित है। जिनमें वैश्विक स्तर पर मछली और शेलफिश में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की जांच की गई है। हालांकि सी-फूड में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक स्वास्थ्य पर किस तरह असर डालते हैं यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। वैज्ञानिक इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं।

### 2030 तक 31.5 करोड़ वाहन सड़कों पर होंगे

सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल के मुताबिक, भारत में इस समय 22.95 करोड़ वाहनों का पंजीकरण है। अनुमान है कि 2030 तक 31.5 करोड़ वाहन सड़कों पर होंगे। सड़क पर चलने वाले वाहन पर्यावरण को प्रदूषित तो कर ही रहे हैं, साथ ही पारिस्थितिक संतुलन भी बिगाड़ रहे हैं। एक शोध पत्र के मुताबिक, इस वक्त अकेले दिल्ली की सड़कों पर 54.92 लाख ईएलवी हैं। 2025 तक ऐसे वाहनों की संख्या बढ़कर 77.35 लाख और 2030 तक 96.33 लाख हो जाएगी। इसी तरह चेन्नई में फिलहाल 25.18 लाख ईएलवी हैं जिनके 2025 तक 38.61 लाख और 2030 तक 49.38 लाख होने का अनुमान है। सीपीसीबी के मुताबिक, एक कार में 70 प्रतिशत इस्पात और 7-8 प्रतिशत एलुमिनियम होता है। शेष 20-25 प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक, रबड़, कांच, आदि होता है।

# समुद्री कछुए : प्लास्टिक निगल कर बीमार हो रहे हैं

एजेंसियां

***शोधकर्ताओं ने अस्पताल में भर्ती 45 कछुओं के मल का विश्लेषण किया, जिसमें उन्हें प्लास्टिक का कचरा मिला***

प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। प्लास्टिक के छोटे टुकड़े विभिन्न समुद्री जीवों के माध्यम से खाद्य पदार्थों में प्रवेश कर सकते हैं, जो उनके शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते है। समुद्री जीवों पर प्लास्टिक के प्रभाव को लेकर शोधकर्ताओं ने कछुओं पर एक विश्लेषण किया है। कछुए एड्रियाटिक सागर में फैले उच्च स्तर के प्लास्टिक प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। यह खुलासा बोलोग्ना विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के एक समूह ने इटली के रिकसिओन में फोंडाजिओन सेतासिया के अस्पताल में भर्ती 45 कछुओं के विश्लेषण के आधार पर किया। उन्हें कछुओं के मल में प्लास्टिक का कचरा मिला है। इसके अलावा, उनके विश्लेषण के नतीजों से पता चलता हैं कि कैसे उनकी आंतों में खतरनाक रूप से प्लास्टिक का कचरा उनके माइक्रोबायोटा को बदल सकता है और यह उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है। शोधकर्ता और अध्ययनकर्ता एलेना बियागी ने बताया कि इस अध्ययन के परिणाम एड्रियाटिक सागर के पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक प्रदूषण की गंभीरता को साबित करते हैं। प्लास्टिक का कचरा समुद्री भोजन के जाल में प्रवेश करता है और यह खाद्य श्रृंखला में अधिक मात्रा में पाया जा सकता है, जिसके शिकार समुद्री कछुए हो रहे हैं। यह उनके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिनमें से कुछ उनके आंतों के माइक्रोबायोटा में होने वाले बदलावों के लिए जिम्मेदार हैं।

### प्रहरी के रूप में कछुए

एक अनुमान के मुताबिक हर साल 1 करोड़ टन से अधिक प्लास्टिक महासागरों में प्रवेश करता है, जो 80 फीसदी से अधिक समुद्री कूड़े के लिए जिम्मेदार होता है। समुद्री स्तनधारियों, पक्षियों और समुद्री कछुओं की लगभग 260 प्रजातियों को प्लास्टिक के कचरे के कारण खतरा हैं, इस कचरे को उनके द्वारा निगलने की आशंका रहती है। इसके अलावा, समय के साथ-

साथ प्लास्टिक छोटे टुकड़ों और फिलामेंट्स में टूट जाता है जिसे मछली और शंख प्रजाति निगल सकते हैं, जिससे माइक्रोप्लास्टिक्स मनुष्यों सहित शीर्ष शिकारियों के लिए लगातार खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकता है। इस संदर्भ में, समुद्री कछुए एक प्रमुख प्रजाति से संबंधित हैं। दरअसल, वे समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण के स्तर की निगरानी करते हैं क्योंकि उनका स्वास्थ्य उस वातावरण से जुड़ा है जिसमें वे रहते हैं। विशेष रूप से, प्लास्टिक का कचरा, उनके लिए एक बड़ा खतरा है, समुद्री कछुए अक्सर प्लास्टिक के कचरे को शिकार समझ कर खाने की गलती करते हैं। उनके घूमने के दौरान इसको निगला जा सकता है या उन छोटी मछलियों का शिकार कर सकते हैं जो पहले से ही प्लास्टिक खा चुकी हों। शोधकर्ताओं ने इटली के रिमिनी में 'फोंडाज़िओन सेतासेआ' के सी टर्टल रेस्क्यू सेंटर में भर्ती किए गए 45 कछुओं के नमूनों का विश्लेषण किया। एड्रियाटिक सागर में प्रदूषण जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने और पर्यटन के कारण होता है और इसका उच्च स्तर बहुत चिंताजनक है। यह वास्तव में कुछओं के सभी 45 नमूनों में पाए गए प्लास्टिक कचरे के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

अध्ययनकर्ता प्रो. सिल्विया फ्रेंज़ेलीटी कहते हैं कि हमारे परिणामों से पता चलता है कि, अध्ययन के तहत सभी 45 कछुओं के नमूनों में प्लास्टिक कचरा पाया गया, इस मामले पर मौजूदा साहित्य के साथ हमारे डेटासेट की तुलना करना मुश्किल है क्योंकि पिछले अध्ययनों में मृत जानवरों पर नेक्रोस्कोपी से प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया गया था। शोध से पता चलता है कि देखे गए कछुओं के मल में प्लास्टिक प्रदूषण का स्तर उन जानवरों की संख्या के संदर्भ में बहुत अधिक है, जो प्लास्टिक को निगलते हैं और उनके मल में प्लास्टिक के कचरे की सांद्रता बहुत अधिक होती है। यह शोध फ्रंटियर ऑफ मरीन मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

### प्लास्टिक और आंत माइक्रोबायोटा

इस अध्ययन के आंकड़े हमें समुद्री प्रदूषण और कछुओं के स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। एक बार निगले जाने के बाद, प्लास्टिक का कचरा उनके आंतों के मार्ग के अंतिम भाग में जमा हो जाता है, जहां इसे बाहर निकालने से पहले हफ्तों तक रखा जा सकता है। प्लास्टिक का कचरा एपिथेलियल के नुकसान का कारण बन सकता है और साथ ही जहरीले रसायन भी अवशोषित हो सकते हैं। यही कारण है कि माइक्रोबायोटा में किसी भी परिवर्तन से जीव के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एलेना बियागी ने कहा कि हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि प्लास्टिक कचरे की उपस्थिति से कछुओं के आंत माइक्रोबायोटा के विशिष्ट रोग संबंधी परिवर्तनों और उनके स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, परिणाम बताते हैं कि प्लास्टिक का कचरा कुछ जीवाणु समुदायों के वाहक होते है खासकर जो विषैले रसायनों या कुछ रोगजनकों के साथ पनपने हैं, जो आमतौर पर समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया और रोगजनक तब प्लास्टिक के मलबे के माध्यम से कछुओं के आंतों तक पहुंच सकते हैं।

**मनरेगा के बजट में कटौती**

कोरोनाकाल में लॉकडाउन के दौरान दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों से जब करोड़ों की संख्या में प्रवासी अपने गांव-घर पहुंचे तो कृषि क्षेत्र के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) ने बेकाम और भोजन की तलाश करने वाले लोगों के रोजमर्रा जीवन को चलाने में बड़ी भूमिका अदा की। लोगों को आम बजट में मनरेगा को और ज्यादा शक्ति और गति देने की आस थी, लेकिन बजट में मनरेगा के आवंटन ने झटका दिया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में निर्मला सीतारमण ने मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, यदि इसकी तुलना बीते वित्त वर्ष के संशोधित बजट के आवंटन 111,500 करोड़ रुपये से की जाए तो यह करीब 34.52 फीसदी कम है। बजट कम होने का सीधा मतलब श्रमदिवस के कम होने और रोजगार के अवसरों में कमी से भी है।

नरेगा संघर्ष मोर्चा के सदस्य देबामल्या नंदी ने कहा कि मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2019-2020 के संशोधित बजट आवंटन से वित्त वर्ष 2021-2022 में करीब 38500 रुपये कम दिया गया है। अभी तक कुल श्रम दिव 3.4 अरब तक पहुंच चुका है, सरकार ने अगले वर्ष तक 2.7 से लेकर 2.8 अरब श्रम दिवस तक पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह न सिर्फ रोजगार के दायरे को कम करेगा बल्कि इसका परिणाम आने वाले वर्षों में श्रम का भुगतान में भी हो सकता है। नंदी ने कहा कि यह निराशा से भरा है कि सरकार मौजूदा ग्रामीण रोजगार संकट को दरकिनार कर रही है, यद्यपि कि ग्रामीण मांग को देखते हुए मनरेगा के खर्च को बढाया जाना चाहिए था, महामारी के दौरान इस पर निर्भरता स्पष्ट भी हो चुकी है। मनरेगा बजट के साथ समझौता नाजुक या कमजोर लोगों को और अधिक संकट में डाल सकता है।

जानकारों के मुताबिक कोविड-19 के समय से भारी मांग के बीच 73,000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान काफी कम है। बीते वर्ष सरकार ने 111,500 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उस वक्त बड़ी संख्या में असंगठित मजदूर अपने गांव को वापस लौटे थे और मनरेगा में काम की ऐसी मांग पहले कभी नहीं देखी गई थी। बजट का प्रावधान सरकार के वास्तविक खर्च को प्रभावित नहीं करता है। यह मांग आधारित योजना है और सरकार ने 100 दिन रोजगार का कानूनी प्रावधान कर रखा है।

# बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने पुर्वी क्षेत्र प्रादेशिक एवं एग्रोटेक किसान मेला 2021 की तैयारी शुरू की

संवाददाता

**●मेले का मुख्य थीम कृषि उद्यमों के विविधिकरण द्वारा ग्रामीण सम्पन्नता होगा**

**●5 से 7 मार्च तक विश्वविद्यालय मुख्यालय प्रांगन में होगा आयोजन**

**पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में कृषि से जुड़े संस्थान भी होंगे शामिल**

रांची : राजधानी रांची से सटे राज्य के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 5 से 7 मार्च तक प्रादेशिक एवं राज्यस्तरीय किसान मेले के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गयी है. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्यस्तरीय एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाता है. वर्ष 2020 में इसका आयोजन नहीं किया जा सका था। मेले में पंडालो का निर्माण शुरू कर दिया गया है। मेला में स्टॉल आवंटन के लिए इच्छुक बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं यंत्र निर्माता एवं विक्रेता, बैंक एवं स्वयंसेवी संस्थान आदि विवि के प्रसार शिक्षा निदेशालय से संपर्क करें. स्टॉल बुकिंग के लिए जानकारी मोबाइल नंबर 9431186515/ 8578090105/ 7004434601/ 8235406223 और मेल आईडी deebauranchi@gmail.com < mailto:deebauranchi @gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है. स्टॉल का आवंटन पहले आओं पहले पाओं के आधार पर किया जायेगा. इस वर्ष मेले का मुख्य थीम 'कृषि उद्यमों के विविधिकरण द्वारा ग्रामीण सम्पन्नता' रखा गया है. मेला में पूर्वी राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के शोध एवं विस्तार संस्थानों, किसान, स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं कृषि पदाधिकारी भी भाग लेंगे. प्रदेश में स्थित आईसीएआर संस्थान, नाबार्ड, सभी जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, समेति व आत्मा संस्थान तथा स्वयंसेवी संस्थाएँ भी शामिल होंगे। इस तीन दिवसीय मेले में सब्जी, फल, फूल, औषधीय एवं सुगंधित पौधों से युक्त भव्य बागवानी प्रदर्शनी, गोवंश, भैंस, बकरी, सूकर, मुर्गी, बत्तख आदि से युक्त पशु-पक्षी प्रदर्शनी, किसान-वैज्ञानिक गोष्ठी तथा महिला कृषक गोष्ठी आकर्षण के मुख्य केंद्र होंगे।

बीएयू के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ जगरनाथ उराँव ने बताया कि मेले में झारखण्ड सहित पूर्वी राज्यों के आईसीएआर संस्थानों के आलावा, विवि के कृषि, वानिकी एवं पशु चिकित्सा संकायों के सभी विभागों, प्रदेश के 24 कृषि विज्ञान केन्द्रों, 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों द्वारा लाभकारी कृषि तकनीकी एवं उत्पाद प्रदर्शनी के साथ तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान की जाएगी. साथ ही राज्य के कृषि, उद्यान, भूमि संरक्षण, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन निदेशालय के प्रादर्श को स्टॉल में प्रदर्शित किये जायेंगे. मेले में पूर्वी राज्यों से हजारों की संख्या में आने वाले किसान, कृषि पदाधिकारी, प्रसार कार्यकत्ता तथा कृषि से जुड़े हितकारक नवीनतम लाभकारी कृषि तकनीकों पर अपने ज्ञान एवं अनुभव साझा करेंगे. मेले में कोविड -19 के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देश का पालन किया जाना जरूरी होगा। कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने बताया कि मेले में मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के मार्गदर्शन में किसान की आजी-विका सृजन व पोषण सुरक्षा सबंधी प्रौद्योगिकी पर विशेष फोकस होगा। झारखण्ड सहित पूर्वी राज्यों के कृषक समुदाय को कृषि, वानिकी, पशुपालन, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन, मत्स्य पालन, डेयरी प्रौद्योगिक एवं कृषि यंत्रीकरण आदि की नवीनतम तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से मेले का आयोजन किया जा रहा है।यह प्रदेश का एकमात्र राज्य स्तरीय किसान मेला है, जिसके सफलता के लिए सभी तैयारियाँ शुरू की जा चुँकी है। ये विस्तृत जानकारी हमें बीएयू के पीआरओ अजय कुमार ने दी

## बैंकिंग प्रोजेक्ट में स्थानीय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की जरूरत : कुलपति बीएयू

संवाददाता

रांची : किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी हितकारकों की ओर से प्रयास किये जा रहे है. इसे आगे बढ़ाने में नाबार्ड द्वारा भी प्रयास हो रहा है. झारखण्ड के किसानों की आय में बढ़ोतरी स्थानीय अनुकूल प्रौद्योगिकी से ही किया जा सकता है. नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों को कृषि गतिविधियों में इसे विशेष प्राथमिकता देने की जरूरत है. प्रदेश के किसानों के हित में बीएयू नाबार्ड को कृषि तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण मामले में हर संभव सहयोग करेगा. जिले में कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग से नाबार्ड की कृषि विकास गतिविधियों को आगे बढाये जा सकते है. उक्त बातें कुलपति डॉ ओंकार नाथ सिंह ने विवि पदाधिकारियों एवं नाबार्ड के प्रतिनिधियों का अंतरमिलन समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही.

**नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधको ने लाभकारी कृषि तकनीकी को देखा**

इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एए पाधी ने विवि में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधकों का भ्रमण को अध्ययन का बेहतर अवसर बताया. इसे बैंकिंग प्रोजेक्ट की तैयारी एवं निष्पादन में मददगार होने की बात कही. उन्होंने विवि के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जिले में कृषि सबंधी प्रोजेक्ट एवं प्रशिक्षण में सहयोग लेने की बात कही. नाबार्ड के महाप्रबंधक एलेक्सेंडर एनी ने इस भ्रमण को लाभकारी कृषि तकनीकी, बैंकिंग प्रोजेक्ट एवं प्लान बनाने तथा नाबार्ड के कृषि विस्तार गतिविधियों को बेहतर करने का बढ़िया मौका कहा।मौके पर डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने नाबार्ड द्वारा बैंकिंग प्रोजेक्ट में समन्वित कृषि प्रणाली को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने कहा कि आने वाला समय इसी प्रणाली पर केन्द्रित होगा. इसके बिना किसानों की आय में बढ़ोतरी की गति धीमी सी है. प्रदेश में बैंक सेक्टर को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है. इससे पहले नाबार्ड में कार्यरत प्रदेश के जिला विकास प्रबंधकों के दल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि, पशुपालन व वानिकी संकाय का भ्रमण किया. दल ने विवि में झारखण्ड में कृषि क्षेत्र में संभावनाओं और किसानों की आय बढ़ाने के लाभकारी कृषि तकनीकी के बारे में जाना।

मौके पर गृह विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्षा डॉ रेखा सिन्हा ने कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन, उद्यान विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉ संयत मिश्रा ने बागवानी फसलों की प्रौद्योगिकी, पशु चिकित्सा संकाय के वैज्ञानिक डॉ रविन्द्र कुमार ने बकरी पालन एवं सूकर पालन प्रौद्योगिकी से लाभ, डीन वेटनरी डॉ सुशील प्रसाद ने पशुधन एवं कुक्कुट पालन की तकनीकी, प्रबंधन एवं लाभ, कृषि अभियांत्रिकी विभाग के वैज्ञानिक डॉ प्रमोद रॉय ने कृषि के नवाचार प्लास्टिक कल्चर तकनीक से आधुनिक प्रणाली तथा प्रसार शिक्षा विभाग के वैज्ञानिक डॉ बीके झा ने कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में बीएयू की पहल से अवगत कराया. दल ने मृदा विभाग में जैव उर्वरक एवं जीवाणु खाद तथा वानिकी संकाय में समन्वित कृषि प्रणाली के मॉडल को भी देखा. भ्रमण कार्यक्रम एवं समारोह का संचालन डॉ बीके झा तथा धन्यवाद ज्ञापन एसआर पांडा ने दी. मौके पर आरके त्रिपाठी, डॉ प्रमोद रॉय भी मौजूद थे।

## बालसिरिंग रेलवे स्टेशन पर परिचालन की आधुनिक पद्धति इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग

रांची :रांची रेल मंडल के बालसिरिंग रेलवे स्टेशन पर परिचालन की आधुनिक पद्धति इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पद्धति लगाने का कार्य 24/02/2021 को पूरा किया गया ।

बालसिरिंग स्टेशन पर नई स्टेशन बिल्डिंग एवं नई प्रतीक्षालय का भी निर्माण किया गया है। इससे पहले बालसिरिंग स्टेशन पर परिचालन पुरानी पद्धति द्वारा किया जाता था। जिसमें स्टेशन एवं स्टेशन के दोनों छोर पर स्थित केबिनों के माध्यम से लीवर फ्रेम द्वारा परिचालन किया जाता था, अब इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पद्धति द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा । इस पद्धति के द्वारा ट्रेनों की संरक्षा में वृद्धि होगी तथा ट्रेनों का परिचालन पहले से ज्यादा सुगम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पद्धति के कार्य पूरा होने के अवसर पर बालसिरिंग रेलवे स्टेशन पर मुख्य अभियंता (निर्माण)ए के पांडे, अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) सतीश कुमार, उप मुख्य अभियंता (निर्माण) राम प्रताप मीणा, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (ट्रेक्शन) ए आर दास, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता एस उरांव, मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार अभियंता (निर्माण) अशोक तिवारी सहायक मंडल परिचालन प्रबंधक विभूति नारायण शर्मा, सहायक विद्युत अभियंता सुजीत कुमार एवं अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

## संरक्षित क्षेत्रों में भी दर्ज की गई है वन्य जीवों में 56 फीसदी की गिरावट

एजेंसियां :शोधकर्ताओं को पता चला है कि वन्यजीवों का व्यापार प्रजातियों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, इसकी समझ विकसित देशों में बहुत कम है। यही वजह है कि आमतौर पर जिन प्रजातियों का व्यापार किया जा रहा है उनके विलुप्त होने में इसका बहुत बड़ा हाथ है।

वन्यजीवों का व्यापार किस तरह जीवों की आबादी पर असर डाल रहा है इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अफ्रीकी हाथी हैं, जिनके हाथी दांत व्यापार के कारण इनकी आबादी में गिरावट आई है। इसी तरह एशिया और अफ्रीका में पैंगोलिन प्रजातियों की आबादी पर भी उनके व्यापार के चलते असर पड़ा है। हालांकि दुनिया भर में वन्यजीव व्यापार और उसके प्रबंधन के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन व्यापक शोध की कमी के चलते यह नीतियां कितनी कारगर हैं इस बारे में ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसे में यह नीतियां प्रजातियों की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकती हैं। संरक्षित क्षेत्रों में भी वन्यजीवों की आबादी में आई 56 फीसदी की गिरावट इस बात का सबूत है कि वहां कुछ तो गलत है। ऐसे में यह शोध खतरे में पड़ी प्रजातियों की सुरक्षा और व्यापार प्रबंधन के लिए बेहतर उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

## सीएमपीडीआई और अरूणाचल प्रदेश के बीच एमओयू

रांची : अरूणाचल प्रदेश के कोयला एवं गैर-कोयला खनिजों के लिए गवेषण एवं सम्बद्ध कार्य करने में सीएमपीडीआई को लगाने के लिए सीएमपीडीआई तथा भूविज्ञान एवं खान विभाग (डीजीएम), अरूणाचल प्रदेश के बीच तीन वर्षों के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।

अरूणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज जमा है और इस एमओयू से औद्योगिक कार्यों के विकास के लिए और अधिक उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों को स्थापित करने तथा राज्य में राजस्व बढ़ाने में सहूलियत होगी। कोयला मंत्रालय/ अरूणाचल प्रदेश की एनएमईटी कोष से खनिज विकास का मूल्यांकन करने के लिए डीजीएम राज्य का नोड्ल एजेंसी है।सीएमपीडीआई की ओर से विभागाध्यक्ष (बिजनेस डेवलपमेंट विभाग) मनोज खाडिया तथा भूविज्ञान एव खान विभाग (डीजीएम), अरूणाचल प्रदेश सरकार की ओर से सचिव अनिरूद्ध सरन सिंह (आईआरएस) ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किया। इस मौके पर श्री तस्सर तालर, निदेशक, भूविज्ञान एवं खनन, अरूणाचल प्रदेश,डीजीएमके कई उच्चाधिकारी तथा सीएमपीडीआई के राजीवा कुमार सिंह, मुख्य प्रबंधक (भूविज्ञान) उपस्थित थे।

# हर घर जल योजना के लक्ष्य से चूक सकती है केंद्र सरकार

एसओई 2021 के मुताबिक हर घर जल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की गई थी हालांकि 50 फीसदी से कम परिवार इस मात्रा का पानी हासिल कर रहे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा था कि 3.60 लाख करोड़ रुपये के लागत वाले जलशक्ति अभियान (जेएसए) के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पाइप से पेयजल की आपूर्ति कर दी जाएगी। हालांकि, परियोजना के अमल की सुस्त रफ्तार सरकार को समय से वादा पूरा करने से काफी दूर ले आई है। जलशक्ति अभियान को अगस्त 2019 में शुरु किया गया जिसके बाद से कुल 15 महीनों में नवंबर, 2020 तक 2.6 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन से पेयजल की आपूर्ति कराई गई हैं। यह दर्शाता है कि प्रत्येक महीने सिर्फ 17 लाख परिवारों को नलों से जोड़ा जा सका। इस दर पर काम करने से अगले छह साल लगेंगे और 2026 तक यह शायद यह अभियान पूरा हो पाएगा।

25 फरवरी, 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट की ओर से जारी स्टेट ऑफ इंडियाज रिपोर्ट - 2021 (एसओई 2021) में यह तथ्य उजागर किया गया है। एसओई 2021 और सीएसई की वाटर एक्सपर्ट सुष्मिता सेनगुप्त के मुताबिक देश में अब तक जलापूर्ति के लिए 12 बार लक्ष्य तय किए जा चुके हैं लेकिन वह पूरे नहीं हो पाए। इस बार जलशक्ति अभियान के तहत 19.1 करोड़ परिवारों को पेयजल आपूर्ति वाले पाइपलाइन से जोड़ा जाना है। वहीं, देश में 16.1 फीसदी परिवार के पास पहले से ही पाइपलाइन की जलापूर्ति है।

2020 में नवंबर तक 16 जिलों में 400 ब्लॉक, 30475 पंचायतें और 54938 गांवों में परिवार को पाइपलाइन से जोड़ा गया है। राज्यों के हिसाब से बिहार के सबसे ज्यादा गांव पेयजल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन से जुड़े हैं और फिर इसके बाद तेलांगाना का स्थान है। हालांकि लद्दाख, केरल और त्रिपुरा इस मामले में सबसे फिसड्डी हैं हालांकि, यदि पाइपलाइन के इस जलापूर्ति का इस्तेमाल कर सकने वाले परिवारों की संख्या की बात करें तो सिर्फ गोवा (दो जिले) ऐसा राज्य है जहां 100 फीसदी परिवार जलापूर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसओई 2021 में कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन की तरह सिविल इंजीनियर इस गणना से अलग मत रखते हैं उनका कहना है कि अमल के दौरान परिवारों को पाइपलाइन वाले नल से जोड़ने की दर बढ़ जाएगी और अभियान समय से पूरा कर लिया जाएगा।वहीं, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता विभाग के मुताबिक एक अप्रैल, 2018 तक केवल 20 फीसदी ग्रामीण परिवारों को ही पाइपलाइन जलापूर्ति से जोड़ा जा सका जबकि 2018-19 तक 35 फीसदी ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन की पेयजल आपूर्ति से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। एसओई के मुताबिक महज देश के 17 जिले हैं जहां 100 फीसदी पाइपलाइन से जलापूर्ति से जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया गया है।

नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में जल संसाधन और गंगा मंत्रालय का नाम बदलकर जलशक्ति मंत्रालय रखा था। साथ ही इस नए नाम वाले मंत्रालय के तहत 3.60 लाख करोड़ रुपए की महात्वकांक्षी योजना जल शक्ति अभियान (जेएसए) के तहत 2024 तक राज्यों में पाइपलाइन के सहारे हर घर जल पहुंचाने की बात कही थी। 2017 में भी ग्रामीण परिवारों के लिए यह घोषणा की गई थी। एसओई 2021 के मुताबिक रहर घर जल के तहत मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) से बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) कर दी थी। लेकिन अब भी 50 फीसदी से कम परिवार इस मात्रा का पानी हासिल कर रहे हैं। जबकि 40 एलपीसीडी के मात्रा के हिसाब से 80 फीसदी परिवारों को पानी हासिल हो रहा था।

पानी के स्लीपेज की परेशानी काफी परिवारों को 55 एलपीसीडी की मात्रा से बाहर रखेगा। यानी उचित प्रबंधन न होने से स्लीपेज की समस्या जारी रहेगी और तमाम परिवार आंशिक तौर पर ही जलापूर्ति से लाभान्वित होंगे। यह बात सीएजी की रिपोर्ट में गौर भी की जा चुकी है। सीएजी के मुताबिक 2012 और 2017 के बीच 47 हजार बस्तियां स्लीपेज और अन्य कारणों से पूर्ण रूप के बजाए आंशिक रुप से पाइपलाइन जलापूर्ति दायरे में पहुंच गईं। खासतौर से आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में ऐसी बस्तियां सबसे ज्यादा थीं।

देश में 60 करोड़ लोग भीषण जलसंकट का सामना कर रहे हैं। 75 फीसदी के पास जल के लिए उनके घर में कोई व्यवस्था नहीं है। 84 फीसदी ग्रामीणों के पास पाइप का पानी नहीं है। साथ ही देश का 70 फीसदी पानी प्रदूषित है।सिर्फ सतह पर मौजूद साफ पानी का संकट नहीं है बल्कि भू-जल की स्थिति अत्यंत दयनीय है। एनजीटी में बीते वर्ष (2018 में) केंद्र की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने बताया था कि देश के भीतर 2009 में जहां 2700 अरब घन मीटर भूमिगत जल था वहीं अब 411 अरब घन मीटर जल ही धरती के नीचे बचा है। डीटीई से साभार

## हमर बस्तर यात्रा

राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच द्वारा यह यात्रा द्वितीय वर्ष होगी । जिसमे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री गोलुक बिहारी ने इस यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि बस्तर के सुख समृद्धि के लिए बस्तर की यात्रा आवश्यक है। जिसमे बस्तर क्षेत्र के जनजीवन का परिचय होगा । पूर्व में दक्षिण बस्तर की यात्रा हुई थी , इस वर्ष उत्तर बस्तर की यात्रा होगी जिसमें इतिहासिक स्थल ,प्राकृतिक सौंदर्य पे एवं बस्तर के अंदर की मूर्ति कला को टेक्नोलॉजी से जोड़कर विश्वबाजार में व्यापक बना सकते है ।

झारखंड फैंस के कोषाध्यक्ष तथा एक्वालाइनभूंगरु के डायरेक्टर रथीन भद्रा ने बताया कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच इस क्षेत्र में पानी को ले कर शोध करेगी और बस्तर के आदिवासियो को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराएगी तथा वहां के आर्सेनिक और आयरन वाटर का परमानेंट निदान एक्वालाइन भूंगरु के माध्यम से निकलेगी उन्होंने साइंटिफिक तरीको पर जोर दिया जल संरक्षण के लिए तथा टेरेकोटा जो कि बस्तर के जनजातियों का आय का मुख्य स्रोत है उसको टेक्नोलॉजी और साइंस के माध्यम से अपने मित्र के साथ मिल कर टेराकोटा का नोनो पोर्स वाला फ़िल्टर का रूप दे रहे है और इस काम को वहां के लोगो के साथ मिल कर बखूबी कर सकते है और उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते है। इस पूरे शोध को करने के लिए झारखंड रास्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के जॉइंट सेक्रेटरी तथा जियोलॉजिस्ट और डायरेक्टर राजा बागची जी भी साथ जा रहे है । साथ ही जनजाति क्षेत्र के राष्ट्रीय चेयरपर्सन डॉ. वर्णिका शर्मा ने बताया यह यात्रा दायित्वों से भरा है। हम जिस जगह में जा रहे है उसे केवल पर्यटन क्षेत्र उद्घोषित न कर पूरे देश में यह संदेश भी देना है कि बस्तर केवल गिने चुने जाने वाले क्षेत्र तक सीमित नही है । बस्तर में अनुपम प्राकृतिक छटा है ,सुंदर संपदा एवं अप्रतिम जनजाति संस्कृति है देशवासी उन्हें आत्मसात करें ,पूरे देश में बस्तर की प्राकृतिक सौंदर्य की जानकारी को फैलाना है इसके लिए हमारे साथ चलिए व सभी कहेंगे "माय संगये द काट" जिसका अर्थ आओ साथ चले है।

# फोटो न्यूज

## बिना जंगल उजाड़े ऐसे भी बन सकती हैं सड़कें

## 16.7 लाख मौतों का कारण वायु प्रदूषण

वर्ष 2019 में 16 .7 लाख मौतों का कारण वायु प्रदूषण रहा है, इनमें 50 फीसदी (851,698) मौतें महज पांच राज्यों में ही हुई है। इन पांच राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान का नाम शामिल हैं। बड़ी जनसंख्या और प्रति व्यक्ति कम आय वर्ग वाले यह राज्य वायु प्रदूषण के कारण होने वाली समयपूर्व मौतों और रुग्णता के कारण जबरदस्त आर्थिक नुकसान भी उठा रहे हैं।

ग्लोबल बर्डन डिजीज (जीबीडी) 2017 के आंकड़ों के आधार पर 1990 से लेकर 2017 तक दो दशक में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रमुख बीमारियों के कारण होने वाले मौतों के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण जनित निचले फेफड़ों का संक्रमण (एलआरआई) परेशान करता है। निचले फेफड़ों के संक्रमण से 1990 में 5 .66 लाख मौतें हुईं थी जो कि 2017 में 1.85 लाख तक ही पहुंची। यानी करीब तीन दशक में एलआरआई से मौतों की फीसदी में गिरावट बेहद मामूली है। निचले फेफड़े के संक्रमण और वायु प्रदूषण के घटक पार्टिकुलेट मैटर 2 .5 के बीच एक गहरा रिश्ता भी है। 0 से 5 आयु वर्ग वाले समूह में निचले फेफड़े का संक्रमण जितना प्रभावी है उतना 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग वालों पर नहीं है। 2017 में 5 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों में निचले फेफड़ों के संक्रमण से 6 फीसदी बच्चों की मृत्यु हुई। इससे स्पष्ट है कि निचले फेफड़ों का संक्रमण पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ही ज्यादा प्रभावी है। वहीं, जीबीडी रिपोर्ट बताती है कि 2019 में 17 लाख मौतों में 58 फीसदी मौतें बाहरी यानी परिवेशी वायु प्रदूषण के कारण हैं जबिक 36 फीसदी मौतें भीतरी यानी घर से होने वाली मौतों के कारण हैं। घर से होने वाले प्रदूषण में सबसे बड़ा कारक प्रदूषित ईंधन से खाने का पकाया जाना है।

पार्टिकुलेट मैटर 2 .5 का तय मानकों से कई गुना ज्यादा होना और वायु प्रदूषण जनित मौतों का सीधा कनेक्शन है। शीर्ष ऐसे 10 राज्य जहां पीएम 2 .5 प्रदूषण ज्यादा रहा है और वहां होने वाली मौतें भी ज्यादा रही हैं। डब्ल्यूएचओ के मानकों के मुताबिक पीएम 2 .5 का सालाना सामान्य सांद्रण 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से नीचे का है। जबकि राज्यों में 20 गुना ज्यादा पीएम 2 .5 प्रदूषण है और वहां मौतें भी सबसे ज्यादा हैं।

# जामुन की लकड़ी का महत्व

अगर जामुन की मोटी लकड़ी का टुकडा पानी की टंकी में रख दे तो टंकी में शैवाल या हरी काई नहीं जमती और पानी सड़ता नहीं । टंकी को लम्बे समय तक साफ़ नहीं करना पड़ता ।जामुन की एक खासियत है कि इसकी लकड़ी पानी में काफी समय तक सड़ता नही है ।जामुन की इस खूबी के कारण इसका इस्तेमाल नाव बनाने में बड़ा पैमाने पर होता है ।नाव का निचला सतह जो हमेशा पानी में रहता है वह जामून की लकड़ी होती है। गांव देहात में जब कुंए की खुदाई होती तो उसके तलहटी में जामून की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जमोट कहते है। आजकल लोग जामुन का उपयोग घर बनाने में भी करने लगे है ।जामून के छाल का उपयोग श्वसन गलादर्द रक्तशुद्धि और अल्सर में किया जाता है।

दिल्ली के महरौली स्थित निजामुद्दीन बावड़ी का हाल ही में जीर्णोद्धार हुआ है । 700 सालों के बाद भी गाद या अन्य अवरोधों की वजह से यहाँ पानी के सोते बंद नहीं हुए हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख के .एन. श्रीवास्तव के अनुसार इस बावड़ी की अनोखी बात यह है कि आज भी यहाँ लकड़ी की वो तख्ती साबुत है जिसके ऊपर यह बावड़ी बनी थी। श्रीवास्तव जी के अनुसार उत्तर भारत के अधिकतर कुँओं व बावड़ियों की तली में जामुन की लकड़ी का इस्तेमाल आधार के रूप में किया जाता था। इस बावड़ी में भी जामुन की लकड़ी इस्तेमाल की गई थी जो 700 साल बाद भी नहीं गली है। बावड़ी की सफाई करते समय बारीक से बारीक बातों का भी खयाल रखा गया। यहाँ तक कि सफाई के लिए पानी निकालते समय इस बात का खास खयाल रखा गया कि इसकी एक भी मछली न मरे। इस बावड़ी में 10 किलो से अधिक वजनी मछलियाँ भी मौजूद हैं। इन सोतों का पानी अब भी काफी मीठा और शुद्ध है। इतना कि इसके संरक्षण के कार्य से जुड़े रतीश नंदा का कहना है कि इन सोतों का पानी आज भी इतना शुद्ध है कि इसे आप सीधे पी सकते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि पेट के कई रोगों में यह पानी फायदा करता है।

पर्वतीय क्षेत्र में गेहूं पीसने की पनचक्की का उपयोग अत्यन्त प्राचीन है। पानी से चलने के कारण इसे "घट' या "घराट' कहते हैं। घराट की गूलों से सिंचाई का कार्य भी होता है। यह एक प्रदूषण से रहित परम्परागत प्रौद्यौगिकी है। इसे जल संसाधन का एक प्राचीन एवं समुन्नत उपयोग कहा जा सकता है। आजकल बिजली या डीजल से चलने वाली चक्कियों के कारण कई घराट बंद हो गए हैं और कुछ बंद होने के कगार पर हैं। पनचक्कियाँ प्राय: हमेशा बहते रहने वाली नदियों के तट पर बनाई जाती हैं। गूल द्वारा नदी से पानी लेकर उसे लकड़ी के पनाले में प्रवाहित किया जाता है जिससे पानी में तेज प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। इस प्रवाह के नीचे पंखेदार चक्र (फितौड़ा) रखकर उसके ऊपर चक्की के दो पाट रखे जाते हैं। निचला चक्का भारी एवं स्थिर होता है। पंखे के चक्र का बीच का ऊपर उठा नुकीला भाग (बी) ऊपरी चक्के के खांचे में निहित लोहे की खपच्ची (क्वेलार) में फँसाया जाता है। पानी के वेग से ज्यों ही पंखेदार चक्र घूमने लगता है, चक्की का ऊपरी चक्का घूमने लगता है ।पनाले में प्राय: जामुन की लकड़ी का भी इस्तेमाल होता हैं फितौडा भी जामुन की लकड़ी से बनाया जाता है । जामुन की लकड़ी एक अच्छी दातुन है। जलसुंघा ( ऐसे विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो भूमिगत जल के स्रोत का पता लगाते है ) भी पानी सूंघने के लिए जामुन की लकड़ी का इस्तेमाल करते ।

साभार : महालक्ष्मी शर्मा

## छत्तीसगढ़ के पहाड़ी मैना पर संकट

एजेंसियां

गहरा काला रंग, नारंगी चोंच और पीले रंग के पैर और कलगी। यह पहचान है खूबसूरत पहाड़ी मैना की। इन्हें देखना हो तो छत्तीसगढ़ के बस्तर स्थित घने जंगलों का रुख करना होगा। इस पक्षी के लिए बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का घना वन, पहाड़ों से कल-कल बहता झरना और पहाड़ियों में बनी गुफाएं, मुफीद आशियाना उपलब्ध कराती हैं। हालांकि वहां जाने पर भी इस पक्षी के दर्शन हो पाएंगे कि नहीं, इसमें थोड़ा संदेह है।

पहाड़ी मैना को इंसानों से दूर घने जंगल में रहना पसंद है। लेकिन इंसानों के संपर्क में आने पर ये पक्षी उनकी हूबहू नकल कर सकते हैं। इंसानों की नकल करने की कला ने इस पक्षी को पिंजड़े का पक्षी बना दिया है। इन्हें अक्सर बंद पिंजड़े में गैरकानूनी पशु-पक्षी के बाजारों में बिकता हुआ देखा जा सकता है। इस पक्षी को भारत के अलावा चीन और श्रीलंका में भी देखा जा सकता है। कभी कांगेर घाटी का घना जंगल पहाड़ी मैना का सबसे पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था। इसको देखते हुए इसके संरक्षण के प्रयास बहुत पहले शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी के इलाके को 1983 में पहाड़ी मैना के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। तब छत्तीसगढ़ बतौर राज्य अस्तित्व में नहीं था।

इसके बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में वर्ग एक में शामिल इस चिड़िया को छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2002 में राजकीय पक्षी का दर्जा दिया था। लेकिन 18 साल बीत जाने के बावजूद भी इस पक्षी के स्तित्व पर संकट मंडरा रहा है।

## हिमालय क्षेत्र में निगरानी की जरूरत

एजेंसियां

उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गयी और अभी भी सैकड़ों लोगों की तलाश जारी है। इसी बीच वैज्ञानिकों ने पर्वतीय इलाकों में निगरानी की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया है ताकि ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान किया जा सके।

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर काफी संवेदनशील हो गए हैं। इनके पिघलने की दर तेजी से बढ़ रही है। इनकी अपेक्षा चीन, भारत और पाकिस्तान सीमाओं पर स्थित काराकोरम पर्वत के ग्लेशियर अधिक स्थिर हैं। यह कहना है चीन, नेपाल, अमेरिका, कनाडा और जर्मनी के वैज्ञानिकों का जो कि कई देशों को साथ मिलकर जल विद्युत परियोजनाओं के समुचित प्रबंधन की वकालत करते हैं। हिमझीलों में पानी बढ़ने से उसका किनारा टूटने की घटनाओं में हाल में वृद्धि देखी गई है और वैज्ञानिकों को आशंका है कि ऐसी घटनाओं की संख्या आने वाले समय में बढ़ेगी। ऐसे में यहां से जुड़ी नदियों में बने पनबिजली परियोजनाओं और भविष्य किसी भी संभावित पनबिजली परियोजनाओं पर खतरा मंडराता रहेगा। कार्बन का उत्सर्जन कम कर बर्फ पिघलने की रफ्तार को कम करने की कोशिशों पर बल दिया जा रहा है। इस रिव्यू ने इसे एक जरूरी कदम बताया है।

यह विडंबना ही कही जाएगी कि चमोली हादसे के करीब पांच दिन पहले यानी 2 तारीख को एक अध्ययन प्रकाशित हुआ। इस अध्ययन में पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ते हादसों को मद्देनजर निगरानी की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया था। और पांच दिन बाद ऐसा ही एक हादसा हो गया जिसमें जान-माल की इतनी क्षति हो गयी। इस अध्ययन में ऐसे हादसों के पूर्वानुमान के लिए हिमालय क्षेत्र में मौसम, जल और बर्फ (हिम) के निगरानी की आवश्यकता बताई गयी है। इसके अनुसार हिमालय के क्षेत्र में ऐसे तकनीकी तंत्र विकसित करने की जरूरत है जिससे आपदा के होने के पहले ही उसका अनुमान लगाया जा सके। अगर हिमालय क्षेत्र में मौसम की निगरानी के तंत्र विकसित किये जाएंगे तो न सिर्फ ऐसे हादसों का पूर्वानुमान किया जा सकेगा बल्कि पानी, ऊर्जा और बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए भी समय रहते योजनाएं बनाईं जा सकेंगी।

## कितनी कारगर होगी स्क्रैप पॉलिसी ?

शशिभूषण

सरकार देश में प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए वाहन स्क्रैप पॉलिसी (पुराने वाहनों को हटाने की नीति) लाने जा रही है। इस नीति के तहत पुराने वाहनों को निश्चित समयकाल के बाद सड़कों पर चलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद इन वाहनों को स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने संसद में नई स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि ऑटो सेक्टर को एक बड़ा तोहफा दिया है। क्योंकि पुराने वाहनों के सड़क से गायब हो जाने से ऑटो सेक्टर में वाहनों की बिक्री में तेजी देखने को मिलेगी। कोरोना काल के दौर में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में ऑटो सेक्टर सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बताया गया है कि इस पॉलिसी के ऐलान से ऑटो सेक्टर में वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और इस सेक्टर में हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी। ध्यान रहे कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले दिनों हुए एक कार्यक्रम के दौरान इस तरह के संकेत दे दिए थे। ध्यान रहे कि पिछले साल सरकार ने बिजली के वाहनों को अपनाने के लिए 15 साल से पुराने वाहनों को खत्म करने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधनों का प्रस्ताव किया था।

बीते वर्षों में प्रदूषण भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर इतना अधिक रहा कि बुजुर्ग एवं बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने नई स्क्रैप पॉलिसी लाने का ऐलान किया है। देशभर में पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। वाहन पुराने हो जाने पर अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार का दावा है कि नई स्क्रैप पॉलिसी के आने से सड़कों से पुराने वाहन गायब हो जाएंगे और प्रदूषण के स्तर में भी कमी देखने को मिलेगी। सरकार की इस पहल से लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ेगा जो कि प्रदूषण कम करने के लिहाज से बहुत आवश्यक है।

## कपड़े धोने से समुद्र में फैल रहा है माइक्रोप्लास्टिक

एजेंसियां

***शोधकर्ताओं ने आर्कटिक से समुद्री जल का नमूना लिया जिसमें लगभग 92 प्रतिशत सिंथेटिक फाइबर से बना माइक्रोप्लास्टिक्स पाया गया***

दुनिया भर में आज बढ़ता माइक्रोप्लास्टिक्स एक चिंता का विषय है, जो दुनिया के सबसे दूर की जगहों तक पहुंच गया है। यह आर्कटिक की बर्फ, वहां के समुद्री जल और तलछट में पाया गया है, लेकिन इसके यहां तक पहुंचने के बारे में जानकारी सीमित है। अब वैज्ञानिकों ने शोध के बाद कहा है कि आर्कटिक के समुद्री जल में अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक्स, पॉलिएस्टर फाइबर, प्लास्टिक प्रदूषण यूरोप और उत्तरी अमेरिका के घरों में कपड़े धोने के दौरान उनसे निकलने वाले पॉलिएस्टर के रेशों से बढ़ा है।

हमारी धरती और समुद्र में प्लास्टिक के कणों ने सबसे अधिक घुसपैठ की है। इन छोटे टुकड़ों को मछलियों के पेट से लेकर समुद्र की सबसे गहरी पहाड़ियों- मारियाना ट्रेंच- आर्कटिक समुद्री बर्फ में खोजा गया है। लेकिन सवाल बिल्कुल वहीं है कि यह प्लास्टिक प्रदूषण आ कहां से रहा है। ओसियन वाइज कंजर्वेशन समूह और कनाडा के मत्स्य और महासागरों के विभाग द्वारा किए गए नए अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने आर्कटिक से समुद्री जल का नमूना लिया जिसमें 92 प्रतिशत सिंथेटिक फाइबर से बना माइक्रोप्लास्टिक्स पाया गया। प्रमुख शोधकर्ता पीटर रॉस ने कहा कि इसमें से लगभग 73 प्रतिशत पॉलिएस्टर के रूप में पाया गया, जो सिंथेटिक वस्त्रों से निकला है। यहां स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि अब हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के घरों के कपड़ों को धोने से निकलने वाला अपशिष्ट जल के माध्यम से आर्कटिक प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तंत्र स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा गया है कि उत्तर की ओर रेशों के इधर-उधर जाने में समुद्री धाराएं बड़ी भूमिका निभाती हैं, जबकि वायुमंडलीय प्रणाली भी इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। प्लास्टिक हमारे चारों ओर है महासागरों में माइक्रोप्लास्टिक्स के लिए एकमात्र स्रोत के रूप में कपड़ों पर ही उंगली उठाना अनुचित होगा, फिर भी पॉलिएस्टर फाइबर के एक मजबूत निशान को देखा जा सकता है, जिनके मोटे तौर पर कपड़ों से निकलने के आसार अधिक हैं। शोधकर्ताओं ने नॉर्वे के ट्रोम्सो से उत्तरी ध्रुव तक 19 हजार किलोमीटर के खंड के साथ-साथ कनाडाई आर्कटिक और ब्यूफोर्ट सागर में, सतह के निकट समुद्री जल के नमूनों को एकत्र किया, जहां उन्होंने लगभग 1 हजार मीटर की गहराई तक कुछ नमूनों का विश्लेषण किया। रॉस ने कहा हमने सभी नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाया। यह शोध नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है।

शोधकर्ताओं ने माइक्रोप्लास्टिक्स की पहचान करने और मापने के लिए सूक्ष्म विश्लेषण का उपयोग किया, जिसे उन्होंने पांच मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े के रूप में परिभाषित किया। पश्चिम की तुलना में पूर्वी आर्कटिक में लगभग तीन गुना अधिक माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि नए पॉलिएस्टर फाइबर अटलांटिक द्वारा क्षेत्र के पूर्व में फैलाए जा सकते हैं। ओशन वाइज ने वाशिंग मशीनों पर परीक्षण किए हैं और अनुमान लगाया है कि कपड़ों से बने सामान को सामान्य घरेलू रूप से धोने के दौरान उनमें से लाखों फाइबर निकल सकते हैं। संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र अक्सर प्लास्टिक फाइबर को पकड़ नहीं रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के घरों में गणना से पता चलता है कि वे सालाना 878 टन माइक्रोफाइबर को सामूहिक रूप से निकाल सकते हैं।

रॉस ने कहा टेक्सटाइल सेक्टर अधिक टिकाऊ कपड़े डिजाइन करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसमें कम शेड अथवा रेशे न निकलने वाले कपड़े डिजाइन करना भी शामिल है, जबकि सरकारें सुनिश्चित कर सकती हैं कि अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों से माइक्रोप्लास्टिक्स को हटाने और नई प्रौद्योगिकियां स्थापित की जा सकती हैं।

रॉस ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों के साथ बने उत्पादों को चुनकर और उनकी वाशिंग मशीन पर कपड़ों के रेशों को जमा करने वाला (लिंट ट्रैप) लगाकर कपड़े धोने वाले भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

# उत्तराखंड: कम बर्फ़बारी से सेब बागवानों में फैली निराशा

**वर्षा सिंह**

अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उत्तराखंड के चमोली में आया सैलाब जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ या किसी अन्य वजह से। लेकिन बदलते मौसम का असर उत्तराखंड के खेती-किसानी पर दिखने लगा है। इस साल उत्तराखंड में जनवरी के महीने में लगभग नहीं के बराबर बर्फबारी हुई है और किसानों को डर सता रहा है कि इस साल सेब तथा अन्य फलों का उत्पादन प्रभावित होगा। किसान फरवरी महीने में बर्फबारी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कम बर्फबारी होने से सेब जैसे फलों को जरूरी तापमान जिसको चीलिंग आवर (शून्य या उससे कम तापमान के जरूरी घंटे) नहीं मिल पाते। इससे फलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित होता है।

उत्तराखंड और यहां के किसानों के लिए सेब और सर्दी में उगने वाले तमाम फल से होने वाली आमदनी की बड़ी भूमिका है। उत्तराखंड के सकल घरेलू उत्पाद में सेब और कुल फलों का दस फीसदी से अधिक का योगदान है। राज्य के करीब ढाई लाख किसान सेब और अन्य फलों के उत्पादन में लगे हैं ।बदलते मौसम की मार का असर उत्तराखंड के सेब के उत्पादन पर दिखने लगा है। अब इस राज्य में खेती के दायरे के साथ-साथ उत्पादन में भी कमी आने लगी है ।एक तरफ उत्तराखंड के चमोली में आए सैलाब और उससे हुए जान-माल से सब आहत हैं। दूसरी तरफ वहां के किसान बर्फबारी में अनियमितता और उससे खेती-किसानी पर पड़ने वाले संकट को लेकर चिंतित हैं। बीते जनवरी महीने में राज्य में एकदम बर्फबारी नहीं हुई और अगर फरवरी में भी ऐसा ही हुआ तो सेब तथा अन्य फल उगाने वाले किसानों के लिए यह साल बुरा गुजरेगा।

''पिछली सर्दियों में इस समय मेरे सामने के पहाड़ बर्फ़ से ढके बिलकुल सफ़ेद दिखाई दे रहे थे। इस समय पहाड़ नंगे दिखाई दे रहे हैं,' उत्तरकाशी के सुखी टॉप गांव के सेब बागवान मोहन सिंह कहते हैं। मोहन सिंह इस बार मौसम के रुख को देखकर थोड़े निराश हैं। इनको डर है कि अगर फरवरी महीने में भी बर्फ नहीं गिरी तो सेब की फसल अच्छी नहीं होगी। मोहन सिंह कहते हैं, '' जनवरी का पूरा महीना सूखा बीत गया। दो दिन बाद यानी 6 जनवरी को महज 3 इंच बर्फ़ गिरी। दिसंबर में थोड़ी बर्फ़ गिरी थी। लेकिन जनवरी सूखा रहने से उस बर्फ़ का भी बहुत असर नहीं रह जाता।''सेब की फसल का इनके जीवन में बड़ा महत्व है। पत्नी और तीन बच्चों सहित कुल पांच लोगों के परिवार की कमाई का स्रोत सेब ही है। इसके अतिरिक्त ये आलू और राजमा भी उगाते हैं पर इससे इनकी आमदनी काफी कम है। सेब की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें तकरीबन दो लाख तक की आमदनी होती है। सेब की फसल और बर्फबारी के महत्व को देखते हुए मोहन सिंह पिछले 5-6 वर्षों से बर्फ़ का पूरा हिसाब रखना शुरू कर दिया। इनका दावा है कि एक इंच भी बर्फ़ गिरती है तो ये उसे माप लेते हैं। इससे अनुमान हो जाता है कि फसल कैसी होगी!

किसान मोहन सिंह ने उम्मीद जताया कि अभी एक महीने (फरवरी) का समय है। इस दौरान अगर अच्छी बर्फ़बारी नहीं हुई तो पेड़ों पर फूल जल्दी खिल जाएंगे। समय से पहले फूल खिले तो उस पर सेब नहीं टिकेगा। उसकी गुणवत्ता, आकार, मिठास सब प्रभावित होंगे। मोहन सिंह बताते हैं ''सेब के पेड़ों को जरूरी चिलिंग आवर्स नहीं मिलने पर जून में अखरोट जितने बड़े आकार में ही फल टूट के गिरने लगते हैं ।''यह चिंता सिर्फ मोहन सिंह की नहीं है। उनके गांव के करीब 200 परिवार सेब उत्पादन से जुड़े हैं और सबको यही चिंता सता रही है। मौसम अनुकूल रहने पर कभी उत्तरकाशी का धराली गांव इस कदर सेब के बगीचों से गुलजार होता था। तस्वीरः सचेंद्र पंवार मौसम अनुकूल रहने पर कभी उत्तरकाशी का धराली गांव इस कदर सेब के बगीचों से गुलजार होता था। उत्तरकाशी का हर्षिल क्षेत्र सेबों के लिए मशहूर है। यहां आठ गांवों सुखी, जसपुर,पुराली, झावा, बगूरी, हर्षिल, मुखवा, धराली के तकरीबन चार हज़ार परिवार आजीविका के लिए मुख्य तौर पर इन्हीं सेबों पर निर्भर करते हैं। सुखीटॉप से थोड़ी अधिक ऊंचाई पर पहाड़ के पूर्वी छोर पर बसे उत्तरकाशी के धराली गांव के सचेंद्र पवार के पास सेब के करीब 400 फलदार पेड़ हैं। उन्हें अभी से यह एहसास हो गया है कि इस साल उनके बगान से सेब का उत्पादन मन मुताबिक नहीं होने वाला है। उनके गांव में धूप सीधे नहीं आती। जो सेब उत्पादन के लिहाज़ से अच्छी बात है। इसलिए मोहन सिंह की तरह इन्होंने उम्मीद नहीं हारी है। उम्मीद कर रहे हैं कि फरवरी और मार्च में ठंडक बनी रहे और सेब के पेड़ों को जरूरी चिलिंग आवर्स मिल जाएं।

राज्य में उपजने वाले फल-सब्जी पर मौसम की इस अनिश्चितता का असर साल दर साल बढ़ने लगा है। यह न केवल किसानों के लिए बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी है। मौसम में आ रहे उतार-चढ़ाव का असर बागवानी पर पड़ रहा है। उद्यान विभाग में संयुक्त निदेशक जगदीश चंद्र कांडपाल बताते हैं कि इसकी वजह से राज्य में सेब का उत्पादन घट रहा है। वह बताते हैं कि वर्ष 2019झ्र20 में उत्तराखंड में 25,785 हेक्टेयर क्षेत्र में 62,089 .51 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन हुआ। वर्ष 2018-19 में 25,675 .87 क्षेत्र में 57,753 .49 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। 2017-18 में ये 25,318 .10 हेक्टेयर में 58,659 .18 मीट्रिक टन था। जबकि 2016-17 में 25,201 .58 हेक्टेयर में 62,061 .98 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन हुआ। उत्तरकाशी में बर्फबारी की कमी की वजह से सेब के बगान उजड़े-उजड़े नजर आते हैं। संयुक्त निदेशक के मुताबिक पेड़ों की गिनती के आधार पर उत्पादन का आकड़ा तैयार किया जाता है। ये बिलकुल सटीक नहीं होता। लेकिन बदलते मौसम की वजह से सेब का उत्पादन कम हो रहा है, यह स्पष्ट है।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी )आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।